

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 59/2025

GCMS No. : 2025/270

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
जरिये सरकार दिलीप सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. रानसिंह पुत्र चम्पालाल राजपुरोहित, मैसर्स मां जोधपुर स्वीटस, नया बस स्टेण्ड के सामने पाली 2. हरीसिंह (Nominee Person) मैसर्स मां जोधपुर स्वीटस, नया बस स्टेण्ड के सामने पाली


“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51”

—: निर्णय :-

दिनांक: 23/02/2026

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल के बावजूद वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने एवं प्रार्थी भी वक्त बहस अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है एवं राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के अधिकृत किया एवं श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ/खा.सु/एवं औ.नि./संस्था/2025/101 दिनांक 15.01.2025 के अनुसार प्रार्थी का कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली आवंटित किया गया हैं एवं पाली जिले में आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र प्रार्थी के कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की हैसियत से दिनांक 23.04.2025 दौराने गश्त अप्रार्थी के मैसर्स मां जोधपुर स्वीटस, नया बस स्टेण्ड के सामने पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। प्रार्थी से नाम पता पुछने पर अपना नाम रानसिंह पुत्र चम्पालाल बताया। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी की फर्म में


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) रखे हुये थे। जिसे आमजन को बेचने हेतु रखा गया था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने मिक्स मिल्क का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मैने दो प्रतियों में प्रपत्र 5ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी एवं गवाहान को यह बता दिया कि यह नमुना वास्ते जाचं एफएसएसएक्ट के तहत ले रहा हुं। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में प्रार्थी के साथ आये कम्प्युटर ऑपरेटर ओमप्रकाश प्रजापत कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) वास्ते जांच हेतु 02 किलोग्राम क्रय कर उसकी कीमत 900/- रुपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर-2526 लिखा एवं नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमूनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म-6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) का नमुना संख्या आर-2526 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/501/एक्ट/2025/501 दिनांक 07.05.2025 के अनुसार Sub-Standard (अवमानक) पाया गया। जिसकी प्रति अप्रार्थी को जरिये डाक भिजवाकर सुचित किया कि वह उक्त नमुने की जाचं पुनः करवाना चाहते है या अपना कोई पक्ष रखना चाहते है तो 30 दिन के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते है। अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं करने पर प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में पेश किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवमानक (Sub-Standard) बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) को आमजन को विक्रय/विनिमय/उत्पादन कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली



खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.04.2025 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स मां जोधपुर स्वीट्स, नया बस स्टेण्ड के सामने पाली से लिया गया बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) का नमूना वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-2526 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमूने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमूने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) का नमूना कोड संख्या आर-2526 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी फर्म से लिया गया बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) का नमूना अवमानक (Sub-Standard) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अवमानक बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) का विक्रय/विनिमय/उत्पादन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लंघन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standard (अवमानक) बेसन के लड्डू घी से बने (काजू बादाम पिस्ता ईलायची दाना डाले हुए) का उपयोग आमजन को विक्रय किये जाने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर संयुक्त रूप से 30,000/- रुपये तीस हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करें। निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। प्रार्थी उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण से 1 माह में करवाकर पालना रिपोर्ट एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ बजरंग सिंह)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

पाली